संख्या 911/चौवालिस-2-43/90

प्रेषक,

श्री राज कुमार भार्गव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शीर्ष सहकारी क्षेत्र के समस्त
संस्थानों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 31 मई, 1990

विषयः— शीर्ष सहकारी क्षेत्र के संस्थानों की उत्पादकता तथा निधियों की उपलब्धता के बीच समन्वय एवं राज्य सहायता की स्वीकृति की नई प्रक्रिया।

महोदय,

शीर्ष सहकारी क्षेत्रों के संस्थानों की स्थापना व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए की गई है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के कुशल वित्तीय तथा भौतिक कार्यचालन पर निर्भर करती है। सहकारी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए आन्तरिक संसाधनों का सृजन, संस्थागत वित्त की प्राप्ति तथा पूंजीगत निवेश एवं कार्यकारी पूंजी के लिए मार्जिन मनी के रूप में समय—समय पर राज्य सहायता की आवश्यकता होती है।

2. सहकारी संस्थानों को उचित समय पर निधियां प्रदान करने की व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निधियों का निवेश स्वाश्रयी योजनाओं में किया जाय तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर राज्य कोष पर निर्भरता की प्रवृत्ति को विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त, सीमित रखा जाय। सहकारी संस्थानों के प्रबन्ध से निधियों की लागत (कास्ट आफ फण्ड) तथा ऋण एवं अंशपूंजी (डेट इक्वटी) का स्वस्थ अनुपात सुनिश्चित करने पर बार—बार बल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

3. अतः शीर्ष सहकारी संस्थानों को राज्य सहायता प्रदान करने की व्यवस्था को और अधिक उद्देश्यपरक बनाने के लिए शासन ने विचारोपरान्त इस प्रक्रिया को निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया है:—

(क) सहकारी संस्थानों में परिणामोन्मुख संस्कृति के उदय तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा एम०ओ०यू० तैयार करने की नई प्रणाली का समारम्भ किया गया है। इन संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्तिम त्रैमास में आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना (ऐनुवल ऐक्शन प्लान) तैयार की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा जिन संस्थानों के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया जाना है, उन संस्थानों द्वारा अनुबन्ध पत्र तैयार किया जायेगा। इन वार्षिक कार्य योजनाओं तथा एम०ओ०यू० में निहित योजनाओं, कार्यक्रमों की विवेचना, व्यवहारिकता तथा क्रियान्वयन के साथ, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होंगे।

(ख) जिन संस्थानों को राज्य सहायता की आवश्यकता होगी उनके द्वारा अनुलग्नक—1 तथा—2 में उल्लिखित अभिलेखों के साथ एक प्रस्ताव (चार प्रतियों में) प्रशासनिक विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त सम्बन्धित पत्रावली को प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के साथ सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को माह की 1 तारीख तक जो भी प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में प्राप्त होंगे, उनका परीक्षण 20 तारीख तक करने के उपरान्त ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित समितियों (अनुलग्नक—3) की बैठक आहूत कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जो भी प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में प्राप्त होंगे, उनका परीक्षण 20 तारीख तक करने के उपरान्त ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित समितियों (अनुलग्नक–3) की बैठक आहूत कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) संस्थानों द्वारा अपेक्षित राज्य सहायता के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित समिति द्वारा अमुक धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते समय स्वीकृत धनराशि को अंश पूंजी दीर्घकालीन अथवा अल्पकालिक ऋण तथा अनुदान आदि के रूप में प्रदान करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायेगा । राज्य सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा लिए गये निर्णय एवं उनकी अन्य संस्तुतियों को अभिलिखित करते हुए पत्रावली प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी ।

(च) समिति की संस्तुतियों एवं उनके द्वारा लिए गये निर्णय वित्त/नियोजन विभाग की सहमति के लिए हुए माने जायेंगे । तद्नुसार राज्य सहायता की धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण करने के साथ–साथ समिति की अन्य संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भी प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

4. शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि संस्थानों के प्रस्तावों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा बजट प्राविधान तथा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड अथवा अन्य समितियों द्वारा पूंजीगत निवेश की स्वश्रयता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी ।

5. मुझे आपसे यह भी अनुरोध है कि वार्षिक कार्य योजना/एम०ओ०यू० के आधार पर सहकारी संस्थानों को राज्य सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार वर्ष 1990-91 से क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,
[राज कुमार भार्गव]
मुख्य सचिव ।

संख्या 911 (1)/44-2-43/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) शीर्ष सहकारी क्षेत्र के संस्थानों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।
(2) नियोजन सचिव
(3) वित्त सचिव
(4) सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(6) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[आर० रमणी]
सचिव ।

अनुलग्नक–1

शासनादेश संख्या: 911/चौवालिस–2-43/90 दिनांक: 31.5.90 में सन्दर्भित राज्य सहायता का आगणन करने के लिए निर्धारित रूप पत्र ।

उपक्रम का नाम — वित्तीय वर्ष

(क) संसाधनों की स्थिति — वित्तीय वर्ष

	वास्तविक गत वित्तीय वर्ष के अन्त में	अनुमानित वर्तमान वर्ष के गत त्रैमासान्त की स्थिति
1. शासन में प्राप्त संसाधन:–		
अ. अंशपूंजी		
ब. ऋण		
स. अन्य		

2. संस्थागत वित्त-तथा अन्य वाह्य
श्रोतों से प्राप्त संसाधन
अ. अंशपूंजी
ब. ऋण
स. अन्य

3. आन्तरिक संसाधनों का सृजन
अ. सामान्य संचय
ब. विशेष संचय
स. क्रमिक मूल्य ह्रास
द. अन्य (यदि कोई हो)

4. कार्यशील पूंजी हेतु संसाधन
अ. राज्य सरकार से प्राप्त ऋण
ब. कैश क्रेडिट तथा बैंकों के
माध्यम से अन्य व्यवस्था

5. विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त फण्ड/अनुदान

योजना का नाम	उपलब्ध धनराशि	प्रयुक्त धनराशि
क.		
ख.		
ग.		

ऋण भुगतान	गत वित्तीय वर्ष के अन्त में
1. अदत्त ऋण (देय ऋण जिनका भुगतान नहीं हुआ)	
अ. संस्थागत/वाह्य संस्थाएं	
ब. राज्य सरकार	
2. ऋण पर अदत्त ब्याज (देय ब्याज जिनका भुगतान नहीं हुआ)	
अ. संस्थागत/वाह्य संस्थाएं	
ब. राज्य सरकार	

ग. निगम से सरकार को भुगतान की गयी धनराशि	गत वर्ष के दौरान	वर्तमान वर्ष में अनुमानित
1. ऋण की किश्तों का भुगतान		
2. ऋण पर ब्याज का भुगतान		
3. लाभांश		
अ. धनराशि		
ब. लाभांश का प्रतिशत		

घ. कार्यचालन परिणाम	गतवर्ष	वर्तमान वर्ष	आगामी वर्ष में अनुमानित
1. शुद्ध आय			
2. कार्यचालन पर व्यय			
3. कार्यचालन से लाभ/हानि (पी०बी०आई०टी)			
4. ब्याज			
5. आयकर			
6. नकद लाभ/हानि			
7. मूल्य ह्रास			
8. शुद्ध लाभ/हानि (पी०ए०टी०)			

संसाधनों की आवश्यकता

1. राजस्व आय–व्ययक

	वर्तमान वर्ष में
अ. कार्यशील पूंजी में वृद्धि	
ब. नकद हानि की प्रतिपूर्ति हेतु	
स. राज्य सहायतित योजनाएं	
1.	
2.	
द. अन्य	
योग=	

2.पूंजीगत आय–व्ययक	योजनागत	आयोजनेत्तर
अ. वर्तमान योजनाएं		
ब. नई योजनाएं		
स. आधुनिकीकरण		
द. अन्य		
योग=		

(र) संसाधनों की आवश्यकता हेतु निधियों के श्रोत

1. आन्तरिक संसाधन
2. क. संस्थागत वित्त
   ख. अन्य वाह्य श्रोत
3. आय–व्ययक के माध्यम से राज्य सहायता
   अ. अंश पूंजी
   ब. ऋण पूंजी
   स. अनुदान
   द. योजनाओं के निमित्त सहायता
   य. अन्य

अनुलग्नक–2

शासनादेश संख्या:911/चौवालिस-2-43/90 दिनांक: 31.5.90 में संदर्भित राज्य सहायता की आवश्यकता के प्रस्ताव के साथ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भेजे जाने वाले अभिलेखों/विवरणों की सूची

1. वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना/एम०ओ०यू०
2. आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना का पूर्वानुमान (दो वर्षों का रोलिंग प्लान)
3. वर्तमान वर्ष के आय–व्ययक
4. प्रशासनिक विभाग के आय–व्ययक में उद्यम के लिए आय–व्ययक प्राविधान (यह सूचना प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित की जायेगी)
5. गत वर्ष वित्तीय वर्ष का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ/हानि खाता (वार्षिक लेखे)
6. वर्तमान वर्ष का अनुमानित लाभ/हानि लेखा
7. गत वित्तीय वर्ष का फण्ड फ्लों विवरण तथा वर्तमान वर्ष का फण्ड फ्लों अनुमान
8. वर्तमान वर्ष के गत माह के अन्त तक, गत वर्ष की सन्दर्भित अवधि में तथा गत सम्पूर्ण वर्ष में कुशलता मानक के सन्दर्भ में भौतिक उपलब्धियां
9. कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधियों की आवश्यकता का विस्तृत श्रोत तथा औचित्य
10. पूंजीगत परियोजनाओं/योजनाओं के लिए पी०आई०बी० अथवा सक्षम समिति का अनुमोदन
11. योजना का संक्षिप्त वित्तीय विवरण, उपलब्ध कराई गई निधियां, उपयोग तथा गत दो वर्षों के काल में विशेष वर्तमान वर्ष के लिए निधियों की आवश्यकता
12. संविधिक वित्तीय भुगतानों जैसे प्राविडेण्ट फण्ड, ई०आई०सी०, बिक्रीकर उत्पादकर इत्यादि के सम्बन्धि में प्रमाण–पत्र
13. राज्य सहायता प्रदान करने के लिए गठित समिति की संस्तुतियों पर प्रशासनिक विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण।

संस्तुतियां	कृत कार्यवाही
1.	
2.	
3.	

14. संस्थागत वित्त प्राप्त करने की दिशा में किये गये प्रयास तथा उनके परिणाम

टिप्पणी:–उपरोक्त अभिलेखों/विवरणियों को प्रस्ताव के साथ (4) प्रतियों में भेजा जाना चाहिए।

राज्य सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 911/44-2-43/90, दिनांक 31 मई, १९९० के अन्तर्गत गठित शासन स्तरीय समितियों से शीर्ष सहकारी संस्थाओं को सम्बद्ध करना।

प्रथम समिति:

इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:–

1-	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2-	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3-	सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
4-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
5-	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य

प्रथम समिति द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जायेगी:–

1- सहकारी कताई मिल संघ
2- सहकारी चीनी मिल संघ
3- पी०सी०एफ०

द्वितीय समिति:

इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:–

1-	सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
3-	सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
4-	सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य

द्वितीय समिति द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों को राज्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जायेगी:–

1- प्रान्तीय सहकारी दुग्ध विकास संघ (पी०सी०डी०एफ०)